



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 765) पटना, वृहस्पतिवार, 2 सितम्बर 2021

सं० 27@ykdK&02&01@2020&8150@lk0i0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

5 अगस्त 2021

श्री मनोज कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1024/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा सम्प्रति भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के विरुद्ध इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का दुरुपयोग करने का आरोप जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया।

2. प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। विभागीय पत्रांक-5449, दिनांक 02.06.2021 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-290, दिनांक-15.06.2021 द्वारा अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार के विरुद्ध मामला माननीय लोकायुक्त के न्यायालय में भी विचाराधीन है।

3. जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित आरोप की सम्यक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत प्रस्तुत मामले की गहन जांच के लिये अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के संगत प्रावधान के तहत श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 765-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>